विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 1285

दिनांक : 24/5/17

प्रति,

प्राचार्य,
स्वामी विवेकानंद शिक्षा महाविद्यालय,
एम.आई.टी. चौराहा,बाय पास रोड, जिला–मंदसौर।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 108 एवं 109,दिनांक 07.05.2016

शिक्षा सत्र 2017–18 मेंनवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / सम्बद्धता / संबद्धता –निरंतरता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,से प्राप्त अनुमति के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.05.2017 में प्रस्तुत किया गया, उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.–प्रथम वर्ष	50
02.	बी.ए.बी.एड.–प्रथम वर्ष	50

शर्ते :–

1. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन कराये।
2. महाविद्यालय भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण करें।
3. पुस्तकों के क्रय करने एवं भुगतान की रसीदें 03 माह में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।
4. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3)(1) के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम हेतु रू 50,000/– (अक्षरी पचास हजार रूपये मात्र),की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें। यदि उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर.पूर्व में जमा करा दी गई हो तो,रसीद प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से अतिशिघ्र पूर्ण करें,अन्यथा अस्थाई सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02